

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड  
कुल्हान, सहस्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या- 717/प्रवर्तन/1-8(34)/स0सु0/2018  
सेवा में,

दिनांक 17 फरवरी, 2018

मुख्य अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग,  
यमुना कॉलोनी, देहरादून।

विषय: मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिनांक 27-02-2017 को दिए गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने के संबंध में।  
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुपालन में लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 15, 16 व 17 फरवरी 2018 को हरिद्वार जनपद के अन्तर्गत आने वाले मार्गों पर चिन्हित Speed calming measures का स्थल निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	दिनांक	स्थान का नाम
1	15-02-2018	दुधाधरी, हरिलोक, तिराह/रानीपुर झाल, शंकराचार्य चौक, जहानवी डेल, सिंहद्वार, गुरुकुल, मलकपुरीचुंगी, मिलिट्री चौक, चण्डी चौक।
2	16-02-2018	मण्डावर, पुहाना, नारसन, झबरेड़ा तिराहे से सम्पूर्ण गुरुकुल, शुगर मिल से लिब्वरहेड़ी, देवबन्द तिराहे से कस्बा मार्केट, शिकारीवाला पीर से दीपशिखा तक, बिरला फेक्ट्री से शनिदेव मन्दिर से मध्य बुग्गावाला।
3	17-02-2018	तिरछापुल, रसियाबड, गैण्डीखाता।

अतः आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धितों को अपने स्तर से स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीया

(सुनीता सिंह)

अपर परिवहन आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर मुख्य सचिव/सचिव, लोक निर्माण, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता/नोडल अधिकारी, नवावृत, लोक निर्माण विभाग, यमुना कॉलोनी, देहरादून।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, 58/37 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बलवीर रोड, देहरादून।
- 5- श्री जे0पी0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, श्रीमती एम0बी0 रावत, उपनिदेशक, शिक्षा विभाग, श्री प्रबोध धिल्डियाल, यातायात निरीक्षक/सदस्य लीड एजेन्सी।
- 6- प्रभारी अधिष्ठान/सामान्य प्रशासन अनुभाग, मुख्यालय।

(सुनीता सिंह)

अपर परिवहन आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।

917/2018 Com

कार्यालय उत्तराखण्ड परिवहन विभाग  
कम. नवम वृत्त, लो.जि.वि. देहरादून  
19 FEB 2018

पत्रांक- 917/110 सी-9118 दि. 23/2/18

प्रति, श्री सुभाष चंद्र, सहस्रधारा अभियन्ता को सूचनार्थक आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।